संख्या: 16/2020/1561 ई-2/तेरह-2019-110/2016

प्रेषक,

कृपा शंकर शुक्ल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2020

विषय:-मेसर्स धामपुर आसवनी, बिजनौर द्वारा एस.डी.एस. के कैप्टिव उपभोग पर वर्ष 1991 से 1995 तक जमा परचेज टैक्स की धनराशि को जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-37/दो-805ए(रिट)/2005, दिनांक 31 जुलाई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका सं.-1031/1995 धामपुर शुगर मिल्स बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-03-1999 जिसके विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील दिनांक 22-07-2003 एवं मा. सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका दिनांक 08-05-2015 एवं पुनर्विचार याचिका दिनांक 04-02-2016 को खारिज की जा चुकी है, के अनुपालन में मेसर्स धामपुर आसवनी, बिजनौर द्वारा वर्ष 1991 से वर्ष 1995 तक परचेज टैक्स के मद में जमा धनराशि रू.65,74,247/- (रू. पैसठ लाख चौहत्तर हजार दो सौ सैंतालिस मात्र) वापस करने के संबंध पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-22/2017-744ई-2/तेरह-2017-110/2016, दिनांक 09-06-2017 एवं शासनादेश संख्या-26/2019-90 ई-2/तेरह-2019-110/2016, दिनांक 14-02-2019 को निरस्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत धनरशि का भुगतान प्राप्त शीर्ष "0040" से किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. उक्त धनराशि की वापसी संबंधित कोषागार से जमा धनराशि की पुष्टि के पश्चात ही की जाएगी।

4. इस संबंध में जमा धनराशि की वापसी वर्ष 2019-20 के लेखा शीर्षक "0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-00103-मोटर स्पिरिट और स्नेहकों की बिक्री पर कर-01-पेट्रोल की बिक्री पर कर" के नामे डाला जाएगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

6. कृपया देय धनराशि की शुद्धता आंकलित करते हुए उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।